भारत सरकार

रेल मंत्रालय

लोक सभा

24.07.2019 के

अतारांकित प्रश्न सं. 5043 का उत्तर

रेलवे का माल ढुलाई राजस्व

5043. श्री हेमन्त पाटिलः

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या वर्ष 2016-17 के दौरान रेलवे की माल ढुलाई में वर्ष 2015-16 की तुलना में 4.46 प्रतिशत की कमी हुई है जबकि पूर्ववर्ती वर्षों में 3.23 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी जोन-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने माल ढुलाई राजस्व में कमी के कारणों से संबंधित कोई आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा देश में रेलवे के माल ढुलाई राजस्व को बढ़ाने के लिए उठाए गए कदमों/उठाए जा रहे कदमों का 2014 से वर्ष-वार, जोन और राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रेल और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री (श्री पीयूष गोयल)

(क) से (घ): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

*****

रेलवे के माल ढुलाई राजस्व के संबंध में 24.07.2019 को लोक सभा में श्री हेमन्त पाटिल के अतारांकित प्रश्न सं. 5043 के भाग (क) से (घ) के उत्तर से संबंधित विवरण।

(क) : जी हां।

(ख) : वर्ष 2015-16 और 2016-17 के लिए माल-भाड़ा द्वारा प्राप्त आमदनी का जोन-वार ब्यौरा संलग्न है।

(ग) और (घ): किराया और मालभाड़ा दरों को युक्तिसंगत बनाने से संबंधित विभिन्न विकल्पों का मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है। रेल परिवहन को ग्राहकों के लिए आकर्षक बनाने के उद्देश्य से विभिन्न नवीन उपाय किए गए हैं जिनमें दर सूची को युक्तिसंगत बनाना, नए पण्यों का वर्गीकरण और कंटेनरीकरण के जरिए माल यातायात का विस्तार शामिल है। अतिरिक्त राजस्व अर्जित करने के लिए गत चार वर्ष में किए गए कुछ महत्वपूर्ण उपाय नीचे दिए गए हैं:

(i) महत्वपूर्ण मालभाड़ा ग्राहकों से दीर्घकालिक टैरिफ संविदा करना।

(ii) डबल स्टैक इवार्फ कंटेनर का नया डिलीवरी मॉडल लागू करना।

(iii) अधिसूचित वस्तुओं के लिए एफएके दर का लाभ 50 टीईयू तक बढ़ाने के लिए बढ़ाया गया जो पहले प्रति रेक 30 टीईयू तक ही दिया जाता था।

(iv) कंटेनर यातायात में खाली कंटेनर तथा खाली फ्लैट वैगन के संचलन में 25% की रियायत प्रदान की गई।

(v) एडवांस फ्रेट स्कीम लागू की गई।

(vi) स्टेशन से स्टेशन दरों को युक्तिसंगत बनाया गया।

(vii) बीएफएनएसएम 22.9 वैगन की अनुमेय वहन क्षमता में वृद्धि की गई।

(viii) तौल नीति को ग्राहक के अनुकूल युक्तिसंगत बनाया गया।

(ix) एम्पटी फ्लो दिशाओं में उदारीकृत आटोमैटिक फ्रेट रिबेट स्कीम लागू की गई।

(x) पोर्ट संकुलन प्रभार को वापस लिया गया।

(xi) भारतीय रेलों पर रोल-ऑन-रोल-ऑफ सेवा को बढ़ाया गया।

(xii) दारसाना/बीनापोल के रास्ते पूर्व रेलवे से बंगलादेश को स्टोन यातायात के परिवहन के लिए संकुलन प्रभार वसूल किया जाना समाप्त किया गया।

(xiii) दक्षिण मध्य रेलवे के बीबीनगर-नाडिकुडी खंड पर माल यातायात पर दूरी में स्फीति को 50% की दर पर प्रभारित करना समाप्त किया गया।

(xiv) कोयले के यातायात को युक्तिसंगत बनाया गया।

(xv) दूरी को 400 किमी. से बढ़ाकर 600 किमी. करके मिनी रेक के लदान में आंशिक लचीलापन लाया गया है।

(xvi) लौह अयस्क की दोहरी फ्रेट नीति वापस ली गई।

(xvii) प्रभार के लिए न्यूनतम दूरी को 125 किमी. से घटाकर 100 किमी. किया गया।

(xviii) फ्रेट बास्केट का विस्तार किया गया है- 44 अतिरिक्त वस्तुओं को अधिसूचित सूची से हटा दिया गया है और उन्हें एफएके दरों के अन्तर्गत लाया गया है।

(xix) कंटेनर में परिवहन किए जाने पर समान आकार के मानक बैगों में लदान के मामले में अनिवार्य तौल (100%) से छूट प्रदान की गई है।

(xx) ओपन और फ्लैट वैगनों में बैगों में परेषण के लदान में रियायत प्रदान की गई है।

(xxi) मैरी-गो-राउंड (एमजीआर) स्कीम को युक्तिसंगत बनाया गया है।

(xxii) सभी कवर्ड बैगनों के लिए टू प्वाइंट/मल्टी प्वाइंट कॉम्बिनेशन, मिनी रेक के यातायात की बुकिंग की अनुमति प्रदान की गई है।

हाल ही में, 01.11.2018 से मालभाड़ा दरों को और अधिक युक्तिसंगत बनाया गया है, जिसकी निम्नलिखित विशेषताएं हैं:

(i) कोयले,आरएमएसपी (स्टील प्लांटों के लिए कच्ची सामग्री), लोहा और स्टील, लौह अयस्क, अन्य सामान की मालभाड़ा दर में 8.75% की दर से वृद्धि की गई है।

(ii) 01.12.2018 से कंटेनर गाड़ियों के कर्षण प्रभार में 5% की दर से वृद्धि की गई है।

(iii) खाद्यान्न, उर्वरक, पीओएल, चीनी, नमक, खाद्य तेलों और सीमेंट के भाड़े में कोई वृद्धि नहीं हुई क्योंकि ये आवश्यक वस्तुएं हैं या पहले से ही उच्च दर पर हैं।

******

रेलवे के माल ढुलाई राजस्व के संबंध में 24.07.2019 को लोक सभा में श्री हेमन्त पाटिल के अतारांकित प्रश्न सं. 5043 के भाग (ख) के उत्तर से संबंधित परिशिष्ट

(ख): वर्ष 2014-15 से 2016-17 की जोन-वार माल-भाड़ा आमदनी निम्नानुसार है:-

(करोड़ रु. में)

क्षेत्रीय रेलवे	2014-15	2015-16	2016-17
मध्य	6,825.94	7354.87	6695.42
पूर्व	3,622.07	3649.15	4049.99
पूर्व मध्य	7,771.60	8558.99	8302.24
पूर्व तट	11,379.40	12290.90	13263.88
उत्तर	7,313.74	7191.59	6697.96
उत्तर मध्य	8,782.42	9321.97	8490.48
पूर्वोत्तर	1,322.40	1321.13	1409.23
पूर्वोत्तर सीमा	1,.88	1930.89	1918.66
उत्तर पश्चिम	4,914.57	4772.78	4465.17
दक्षिण	3,045.72	2816.17	2615.32
दक्षिण मध्य	10,778.47	10145.43	9366.99
दक्षिण पूर्व	9,611.12	10558.34	10899.96
दक्षिण पूर्व मध्य	9,613.06	10932.29	10671.80
दक्षिण पश्चिम	3,243.40	3000.64	2792.27
पश्चिम	8,146.59	7597.29	6100.69
पश्चिम मध्य	7,548.96	7765.22	6598.48
कुल	1,05,791.34	109207.65	104338.54
पिछले वर्ष से प्रतिशत वृद्धि		3.23%	-4.46%

******